

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

बनाम

बोनी एफओआई लॉ कॉलेज और अन्य

(2023 की दीवानी अपील संख्या 969)

फरवरी 10, 2023

[संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस. ओका, विक्रम नाथ और जे. के. माहेश्वरी,

न्यायमूर्तिगण]

अधिवक्ता अधिनियम, 1961-एस.49, 24(3)(घ)-बार काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रशिक्षण) नियम, 1995-1995 के नियमों के संदर्भ में पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण; पूर्व-नामांकन/नामांकन के बाद की परीक्षा, यदि भारतीय बार काउंसिल द्वारा वैध रूप से निर्धारित की जा सकती है- आयोजित: बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने द्वारा निर्धारित पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या परीक्षा शुरू करने में अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं है-भारतीय बार काउंसिल को धारा 49 आर/डब्ल्यू एस 24 (3)(घ) तहत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। 49 आर/डब्ल्यू एस। 24(3)(घ) ऐसे मानदंड और नियम प्रदान करने के लिए 1961 के अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं-इस प्रकार, भारतीय बार काउंसिल की शक्तियों पर वी. सुदिर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा दिए गए निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और उक्त मामला कानून की सही स्थिति को निर्धारित नहीं करता है-संदर्भित प्रश्न, उत्तर।

कानूनी पेशा:

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका-चर्चा की गई।

कानूनी पेशे के मानक-अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं, न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा की गई।

अपील और याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

माना कि: 1.1 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को अधिनियमित करने वाली संसद का उद्देश्य कानूनी व्यवसायियों/व्यवसायिकता से संबंधित कानून को समेकित करना था। भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रमुख भूमिका, शीर्ष निकाय, उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए निर्धारित कार्यों से स्पष्ट है। उप-धारा (1) के खंड (एच) में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों के परामर्श से ऐसी शिक्षा के मानक निर्धारित करने का प्रावधान है। उपखंड (एम) एक अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, जिसमें उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी चीजों को करने के लिए सबसे व्यापक आयाम है। ये प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा का सीधा नियंत्रण नहीं सौंपते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से कानूनी शिक्षा विश्वविद्यालयों के प्रांत के भीतर होती है। फिर भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अधिवक्ताओं का शीर्ष पेशेवर निकाय होने के नाते, कानूनी पेशे के मानकों और उन लोगों के उपकरणों से संबंधित है जो उस पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं। न तो ये प्रावधान, और न ही कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका, किसी भी तरह से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पूर्व-नामांकन परीक्षा आयोजित करने से रोकती है, क्योंकि परिषद सीधे उन व्यक्तियों के मानक से संबंधित है जो एक पेशे के रूप में कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 24 में यह निर्धारित किया गया है कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। धारा 24 की उप-धारा (1) उन शर्तों का प्रावधान करती है जिन्हें पूरा करने वाला व्यक्ति राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3), "उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी",

यह कहते हुए गैर-अस्थाई खंड उप-धारा (1) से शुरू होती है। उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) का खंड (डी) इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने की पात्रता को संदर्भित करता है। यह उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) के खंड (डी) के तहत है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा शुरू करने की मांग की, जो समान रूप से लागू होगी, भले ही कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बार में नामांकन करने से पहले कानून पूरा कर ले। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रयास है, जिस पर वी. सुदिर में इस न्यायालय के फैसले में हमला किया गया और वह चुनौती सफल रही। वी. सुदिर में निर्णय को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए क्योंकि संविधान पीठ के संदर्भ आदेश में, इस न्यायालय को संदर्भित पहले दो प्रश्न वास्तव में इस निर्णय से उत्पन्न होते हैं अर्थात् 1995 के नियमों के संदर्भ में पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय बार काउंसिल का अधिकार और क्या उक्त अधिनियम के तहत भारतीय बार काउंसिल द्वारा पूर्व-नामांकन परीक्षा निर्धारित की जा सकती है। 1995 के नियमों के संदर्भ में, प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को अपने अस्थायी नामांकन के बाद, स्थगन की मांग करने और अपने मार्गदर्शकों के निर्देश का उल्लेख करने के लिए अदालत में उपस्थित होने का अधिकार है। संदर्भ के लिए तैयार किया गया तीसरा प्रश्न उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. एच.) को संदर्भित करता है ताकि नामांकन के बाद की परीक्षा प्रदान की जा सके यदि पहले दो प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। [कंडिकाए 20-22,26] [360-डी एच 361 ए बी 362-बीसी]

1.2 स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों को उनके संबंधित वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। शक्तियाँ समान रूप से नहीं होती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत बड़ी शक्तियाँ और अधिकार हैं। यह न्यायालय वी. सुदिर के इस तर्क से सहमत नहीं है कि क्योंकि राज्य विधिज्ञ परिषदों की प्रशिक्षण प्रदान करने या परीक्षा आयोजित करने की शक्ति 1973 के संशोधन द्वारा छीन ली गई थी,

यह वास्तव में ऐसी शक्तियों को छीनने के बराबर है यदि वे भारतीय विधिज्ञ परिषद में निहित हैं। विधायी उद्देश्य स्पष्ट था अर्थात् राज्य विधिज्ञ परिषदों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान नहीं करना। हालाँकि, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सका, और स्वाभाविक रूप से ऐसी शक्ति मौजूद थी। यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कभी ऐसी शक्ति नहीं थी, तो इसे निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता था। लेकिन, यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त शक्तियाँ थीं, तो 1973 का संशोधन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उन शक्तियों को नहीं छीन लेगा क्योंकि उक्त संशोधन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों के पहलू से संबंधित नहीं था। भारतीय बार काउंसिल के कार्य, जैसा कि धारा 7 के तहत निर्दिष्ट किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के तहत राज्य बार काउंसिलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अभ्यास निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, उपखंड (1) के तहत, भारतीय विधिज्ञ परिषद को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत और खंड (1) के तहत उसे प्रदत्त अन्य सभी कार्यों को करने की शक्ति है ताकि वह उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सके। इस प्रकार, विधायी द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ व्यापक और विस्तृत हैं। इस प्रकार, जब भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास धारा 24 (1) के तहत नियम निर्धारित करने की वैधानिक शक्ति है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति को राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य माना जा सकता है, तो भारतीय विधिज्ञ परिषद भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या परीक्षा शुरू करने में अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. जी.), जो भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियम बनाने की सामान्य शक्तियों से संबंधित है, विशेष रूप से यह निर्धारित करती है कि अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने का हकदार व्यक्ति का वर्ग या श्रेणी एक ऐसा पहलू है जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस प्रकार,

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए एक परीक्षा के प्रावधान पर शायद ही संदेह किया जा सकता है। [पारस 29-32] [363-C-H; 364-A-E]

1.3 भारतीय विधिज्ञ परिषद को धारा 49 के तहत व्यापक शक्तियां देते हुए विधायिका का उद्देश्य, जो उसे धारा 24 (3) (डी) के साथ पढ़ने वाले नियम बनाने की शक्तियां देता है, जो उसे भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां देता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि ये ऐसे मानदंड और नियम प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों पर वी. सुदिर में इस न्यायालय के फैसले द्वारा दिए गए निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और यह नहीं माना जा सकता है कि वी. सुदिर ने कानून की सही स्थिति निर्धारित की है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि अखिल भारतीय बार परीक्षा किस स्तर पर आयोजित की जानी है-पूर्व या पद। [बार कंडिकाए 33-36] [364-इ.एच 365-ए]

वी. सुदिर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (1999) 3 एससीसी 176:[1999] 1 एस. सी. आर. 1048-सही कानून नहीं माना गया।

2. जिन छात्रों ने कानून के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर को आगे बढ़ाने के लिए पात्र होने के लिए सभी परीक्षाओं को पास कर लिया है, उसी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। अखिल भारतीय बार परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्ययन के दौरान आवश्यक सभी घटकों को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति के अधीन होगा। यह अखिल भारतीय बार परीक्षा के परिणामों के एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होने के अधीन होगा। [पैरा 38] [365-ई-एफ]

3. उपयुक्त नियम यह निर्धारित करते हुए बनाए जा सकते हैं कि एक नामांकित अधिवक्ता जो एक गैर-कानूनी संदर्भ में पर्याप्त समय (जैसे पांच साल के लिए) के लिए रोजगार लेता है, उसे एक नई भूमिका माना जाएगा और योग्यता हासिल करने के लिए, उस व्यक्ति को एक बार फिर अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की आवश्यकता होगी। एक सक्रिय कानूनी अभ्यास और एक असंबद्ध नौकरी की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास कानून की डिग्री या नामांकन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत की सहायता करने की उसकी क्षमता उसके साथ जारी रहेगी यदि किसी असंबद्ध नौकरी में समय की लंबी अंतराल अवधि है। उन्हें अपने कौशल को नए सिरे से निखारना और परखना होगा। इस प्रकार, यदि कोई पर्याप्त विराम है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मानदंड निर्दिष्ट किए जाने चाहिए कि उस योग्यता को फिर से प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को फिर से परीक्षा के अधीन किया जाएगा और उसे एक बार फिर अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की आवश्यकता होगी। [कंडिका 42] [366-जी-एच; 367-ए-बी]

4. विद्वान न्यायमित्र द्वारा दिए गए अन्य दो सुझाव कि किसी भी पूर्व-नामांकन या नामांकन के बाद बार परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त परिणाम की वैधता समय तक सीमित होनी चाहिए, जो भारतीय बार काउंसिल के लिए विचार करने के लिए एक नीतिगत मामला होगा, और भारतीय बार काउंसिल प्रत्येक राज्य बार काउंसिल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 48 बी के तहत निर्देश जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। [पैरा 43] [367-सी]

भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद और अन्य भारतीय विधिज्ञ परिषद और बनाम एक अन्य (1995) 1 एससीसी 732:[1995] 1 एस. सी. आर. 304; डॉ. हनिराज एल. चुलानी बनाम बार काउंसिल महाराष्ट्र और गोवा (1996) 3 एससीसी 342:[1996] 1 पूरक एस. सी. आर. 51; सतीश कुमार शर्मा बनाम बार काउंसिल एच. पी. (2001) 2 एस. सी.

सी. 365:[2001] 1 एस. सी. आर. 34; जमशेद अंसारी बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य। (2016) 10 एससीसी 554:[2016] 4 एससीआर 111; एन. के. बाजपेयी बनाम भारत संघ और एक अन्य (2012) 4 एससीसी 653:[2012] 2 एससीआर 433; ओ.एन. मोहिंद्रू बनाम दिल्ली बार काउंसिल और अन्य (1968) 2 एससीआर 709; बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ और अन्य (2007) 2 एससीसी 202:[2006] 9 पूरक एस. सी. आर. 756-संदर्भित।

वाद विधि संदर्भ

[1999] 1 एससीआर 1048	सही नहीं माना गया कानून	कंडिका 7
[1995] 1 एससीआर 304	संदर्भित	कंडिका 12
[1996] 1 पूरक एस.सी.आर. 51	संदर्भित	कंडिका 13
[2001] 1 एस सी आर 34	संदर्भित	कंडिका 13
[2016] 4 एस सी आर 111	संदर्भित	कंडिका 13
[2012] 2 एससीआर 433	संदर्भित	कंडिका 13
(1968) 2 एस सी आर	संदर्भित	कंडिका 20
[2006] 9 पूरक एस सी आर 756	संदर्भित	कंडिका 20

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार 2023 का सिविल अपील संख्या 969

2007 के डब्ल्यू. पी. संख्या.13698 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रिंसिपल सीट जबलपुर के दिनांक 17.03.2008 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2021 के डब्ल्यू पी (सी) संख्या 25/2011 का टी.सी (सी) संख्या: 16,12,13,36,14,15, 2012 का टी.सी (सी) संख्या 75, 88, 2013 का डब्ल्यू पी (सी) संख्या 987, 2015 का टी.पी (सी) संख्या 692, 2012 का टी.सी (सी) संख्या 8 और 2011 का टी.सी संख्या 17,18

के.के. वेणुगोपाल, महान्यायवादी (न्यायमित्र), के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। (न्यायमित्र), अमर्त्य ए. शरण, राहुल सांगवान, एम. जी. अरविंद राज, शिवज्ञानम कार्ति कीन, सुश्री अखिला नांबियार, सिद्धार्थ श्रीधर, अधिवक्तागण

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., मनन कुमार मिश्रा, एस. प्रभाकरण, अपूर्व शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद संजस, एम नूली, अगम शर्मा धर्म सिंह सूरज कौशिक, एन पांडे, नंदा कुम के.बी मेसर्स नुली और मुली के लिए, वी.के बीजु, सुश्री रिया, सचते, चैतन्य सिंह अमलेन्दु कुमार, अखिलेश कुमार झा, डॉ रंजीत भारती, सुश्री रुबीना जावेद, सुबाष चद्रन, एन पी राकेश पणिकर, सुश्री कविता के टी, कार्तिक सेठ सिद्धार्थ सेठ, संश्री श्रिया गिल्होत्रा, मोहित सेली चैम्बर्स ऑफ कार्तिक सेठ, ए वेनायगम बालम, अधेन्मुमैली कुमार प्रसाद, सुश्री तरणा अधैमुमौली प्रसाद, निर्मल कुमार अम्बद, शशि शेखर कुमार प्रसाद, विश्वजीत कुमार मिश्रा, अमृतेश राज, सुश्री अंजुल द्वीवेदी, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, आशीष मदान, सुश्री अनन्या साहू, अमन सिंह भदोरिया, सुश्री राधिका गौतम, साई गिरधन, दुर्गा दत्त, गौरव गौतम, सुश्री अमेय बिक्रमा थावी, पदमोश मिश्रा, राधवेन्द्र एस श्रीवास्तव, ए के शर्मा मुकेश कुमार मारोरिया, बी के सतीजा, डां विनोद कुमार तिवारी प्रमोद तिवारी, विवेक तिवारी, सुश्री प्रियंका दुबे, शैलजा कांत दुबे, भूपेश कुमार पांडे, जी प्रकाश, एच चन्द्रशेखर, एम के मिश्रा, हितेष कुमार शर्मा, अखिलेश झा, सुश्री विध्या पांडे, सुश्री मधुमिता मिश्रा, संजय सिंह, मोहन पांडे, सुश्री राधिका गौतम, सत्यजी ए देशाई, सम्य काम शर्मा, सुश्री अनधा एस देशाई, गजानन एन तिथकर, सिद्धार्थ गौतम, सुश्री डेब दीपा, मजुमदार, अभिनव मियाल्वर, सुश्री चंदन राममूर्थी, हर्षद वी हमीद, दीलीप पूलकोट, श्रीमती एशली हर्षद अजय बंसल, गौरव वडव, सुश्री वीणा बंसल, आदि उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण

संजय किशन कौल, न्यायामूर्ति

अनुमति प्रदान की गई।

अधिवक्ता अधिनियम:

1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) स्वतंत्रता के बाद के युग में उस समय की जरूरतों के अनुसार न्यायिक प्रशासन में बदलाव की गहराई से महसूस की गई आवश्यकता का परिणाम था। विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन के सुधार पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। इस बीच, अखिल भारतीय बार समिति ने भी 1953 में सिफारिशें कीं। इसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम बना।

2. उक्त अधिनियम का अध्याय II राज्य बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उनके कार्यों से संबंधित है।

3. उक्त अधिनियम का अध्याय IV अधिवक्ताओं को वकालत करने का अधिकार प्रदान करता है, जो ऐसा करने वाले व्यक्तियों का एकमात्र मान्यता प्राप्त वर्ग हैं और जिनके नाम राज्य विधिज्ञ परिषदों की सूची में दर्ज हैं।

4. उक्त अधिनियम की धारा 7 में भारतीय विधिज्ञ परिषद के कार्यों का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनात्मक शक्ति, अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा शक्तियां और राज्य विधिज्ञ परिषदों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी शामिल हैं। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 49 नियम बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सामान्य शक्तियों को संदर्भित करती है।

प्रक्रियात्मक इतिहास:

5. बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बोनी फोर्ड लॉ कॉलेज के बीच मूल विवाद, यहाँ प्रतिवादी कॉलेज, एक कानूनी अध्ययन पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए संबद्धता के लिए उक्त कॉलेज के आवेदन के कारण उत्पन्न हुआ। इस न्यायालय ने 29.06.2009 को एक निरीक्षण दल नियुक्त किया, जिसने प्रतिवादी कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के बुनियादी ढांचे और कामकाज में कमियों की ओर इशारा करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट दी। 24.08.2009 को, न्यायालय ने प्रतिवादी कॉलेज द्वारा पालन की जाने वाली कुछ शर्तों को निर्धारित किया, जिन्हें कॉलेज ने बाद में पूरा करने का दावा किया।

6. इस मामले के दौरान, भारत के विभिन्न विधि महाविद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले कानूनी शिक्षा के घटते मानकों का एक बड़ा सवाल दिनांक 29.06.2009 के आदेश के माध्यम से ध्यान में आया, जिसके परिणामस्वरूप एक समिति नियुक्त की गई जिसमें भारत के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम शामिल थे। श्री एम. एन. कृष्णमणि, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष; और श्री एस. एन. पी. सिन्हा, भारतीय बार काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष थे। उक्त समिति से विधि महाविद्यालयों की संबद्धता और मान्यता से संबंधित मुद्दों की जांच करने, निवारण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मौजूदा मानदंडों के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारकों का समाधान करने का अनुरोध किया गया था। इस न्यायालय को 06.10.2009 ("इसके बाद रिपोर्ट के रूप में संदर्भित") को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

7. रिपोर्ट में कानूनी पेशे के मानकों में सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण पहलुओं को अनिवार्य माना गया है, पहला, बार परीक्षा की शुरुआत और दूसरा, बार में प्रवेश से पहले एक वरिष्ठ वकील के तहत प्रशिक्षुता की अनिवार्य आवश्यकता। इसने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

ए. भारत में बार परीक्षा: एक बार-परीक्षा एक पूर्व-परीक्षा है। अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में बार में प्रवेश के लिए शर्त।

बी. पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण: बार के एक वरिष्ठ सदस्य के साथ प्रशिक्षण की आवश्यकता उक्त अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी मौजूद थी, जिसमें एक भावी वकील को एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षाओं में 'प्रशिक्षण' की आवश्यकता थी, और फिर सिविल/दीवानी और आपराधिक प्रक्रिया के विषयों वाली परीक्षा में उपस्थित होना था। इसके बाद, उक्त अधिनियम की धारा 24 (1) (डी) ने स्नातक कानून के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता की आवश्यकता को जारी रखा। हालाँकि, इस प्रावधान को 1973 के संशोधन अधिनियम 60 (इसके बाद "1973 संशोधन" के रूप में संदर्भित) द्वारा हटा दिया गया था, जिससे इस प्रथा को बंद कर दिया गया था।

रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि 1973 के संशोधन में उक्त अधिनियम की धारा 28 (2) (बी) को हटा दिया गया, जिसने राज्य बार परिषदों को प्रशिक्षण और बार परीक्षा के संबंध में नियम बनाने में सक्षम बनाया। 1994 में, कानूनी शिक्षा पर एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति ने प्रशिक्षुता और बार परीक्षा की आवश्यकता को फिर से शुरू करने की सिफारिश की और इस प्रकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रशिक्षण) नियम, 1995 (जिसे इसके बाद "1995 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उच्च-शक्ति प्राप्त समिति के जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। हालाँकि, 1995 के नियमों को इस न्यायालय द्वारा **वी. सुदिर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया** के फैसले में रद्द कर दिया गया था ने यह मत व्यक्त करते हुए कि एक बार धारा 24 (1) (डी) और 28 (2) (बी) पर व्यक्त प्रावधानों को वैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, आवश्यकता को फिर से पेश नहीं किया जा सकता था। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि पेशेवर कानूनी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए प्राथमिक निकाय के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका की पुष्टि की जानी चाहिए।

8. 14.12.2009 को श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि पहली अखिल भारतीय बार परीक्षा जुलाई-अगस्त, 2010 में एक विशेष रूप से गठित स्वतंत्र निकाय द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि श्री गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए पूरे कार्यक्रम को चालू किया जाए और संबंधित संस्थानों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया।

9. उपरोक्त कार्यवाही पर, दिनांक 18.03.2016 (इसके बाद "संदर्भ आदेश" के रूप में संदर्भित) के आदेश के माध्यम से, न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए आने वाले प्रश्न सामान्य रूप से कानूनी पेशे को प्रभावित करने वाले काफी महत्वपूर्ण हैं और एक संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। संदर्भ आदेश में इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले तीन प्रश्नों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

"1. क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 (3) (डी) के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रेनिंग रूल्स, 1995 के संदर्भ में पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण भारतीय बार काउंसिल द्वारा वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो क्या सुदिर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक अन्य [(1999) 3 एस. सी. सी. 176] मामले में इस न्यायालय का निर्णय में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

2. क्या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व-नामांकन परीक्षा निर्धारित की जा सकती है।

3. यदि प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है, तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1) (एएच) के संदर्भ में नामांकन के बाद की परीक्षा वैध रूप से निर्धारित की जा सकती है।"

10. कुछ हितधारकों की ओर से अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने का विरोध 2021 का डब्ल्यू पी (सी) संख्या 25 2013 का डब्ल्यू पी (सी) संख्या-987] 2011 का टी सी (सी) संख्या 16, 2011 का 12, 2013 का 13, 2011 का 36, 2011 का 14, 2011 का 15, 2012 का 75, 2012 का 88, 2012 का 08, 2011 का 17, 2011 का 18 और 2015 का टी पी (सी) संख्या 692 में विरोध किया गया था। जिसे वर्तमान मामले के साथ जोड़ा गया है।

हमारे सामने मामले के कानून पर बहस हुई:

11. तीन महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनके निहितार्थ पर हमारे सामने बहस हुई थी। पहला **वी. सुदिर** में इस न्यायालय का निर्णय है जिसमें चर्चा की गई है कि क्या कानूनी पेशे में प्रवेश करने वालों से संबंधित 1995 के नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्षमता के भीतर हैं। पीठ ने राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति को वकालत करने के अनन्य और निरंकुश अधिकार को मान्यता दी। धारा 23, 29 और 33 के एक संयुक्त पठन से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति जो धारा 24 (1) के तहत वैधानिक शर्तों को पूरा करके राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के योग्य पाया जाता है, वह स्वतः सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में पूर्ण रूप से वकालत करने का हकदार हो जाएगा। इसलिए, धारा 24 (1) के तहत वैधानिक शर्तों को तब तक पूरा किया जाता है जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 24 ए के तहत अयोग्यता नहीं हो जाती। पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण की अवधारणा को आवश्यक नहीं माना गया था। विभिन्न आधारों पर 1995 के नियमों को उक्त अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया था और इस प्रकार यह अमान्य था।

12. फिर हम **भारतीय परिषद कानूनी सहायता और सलाह और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक अन्य** में इस न्यायालय के फैसले की ओर मुड़ते हैं।

न्यायालय ने पेशे में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रयास को खारिज कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया था कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आवेदन जमा करने की तारीख को 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह वकील के रूप में नामांकित होने का हकदार नहीं होगा।

13. अंत में, डॉ. हनिराज एल. चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा, अपीलार्थी 1970 से एक चिकित्सा व्यवसायी थे, जिन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही वे एक चिकित्सा व्यवसायी थे, लेकिन वे एक साथ एक अधिवक्ता के रूप में पेशे को जारी रखने के हकदार थे। उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि धारा 49 (1) (ए. जी.) जब उक्त अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़ी जाती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को इंगित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैं जिन्हें अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किया जा सकता है, जिसमें कुछ मामलों में नामांकन से इनकार करने की शक्ति शामिल होगी। भारतीय बार काउंसिल को ऐसे सभी कदम उठाने का अधिकार दिया गया था जो पेशे के प्रवेश बिंदु पर कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश चरण में छात्रों को फ़िल्टर करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, जैसे कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन से पहले एक परीक्षा या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान करना।

इसमें शामिल मुद्दों के प्रभावों के परिमाण को देखते हुए, हमने इस मामले में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन को न्यायमित्र नियुक्त करना उचित समझा था। श्री विश्वनाथन ने वी. सुदिर के पहले के फैसले में गलतियों की ओर इशारा करते हुए एक बहुत ही व्यापक टिप्पणी की, जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है:

ए. पूर्व-नामांकन चरण में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 7 (ए) में संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जाता है।

वी. सुदिर में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि राज्य बार काउंसिलों का कार्य उक्त अधिनियम के तहत "रोल के रखरखाव" का है, भारतीय बार काउंसिल उसी से संबंधित नहीं है। न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट शब्दावली को पढ़ना और इनमें से प्रत्येक शब्द के अंतर्निहित अर्थ को निकालना महत्वपूर्ण है। उक्त अधिनियम की धारा 6 (ए), 6 (बी), धारा 24 (1) (ई) और धारा 28 (2) (डी) का एक सादा पाठ इंगित करता है कि राज्य बार काउंसिल के कार्य रोल तैयार करने और रखरखाव से संबंधित हैं। हालांकि, इसके बिल्कुल विपरीत, उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. जी.) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम बनाने की शक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे नियम निर्धारित करने का अधिकार देती है जो उन व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणी को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो नामांकित होने के हकदार हैं। "हक" का अर्थ यह इंगित करेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकती है जो किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने का अधिकार या दावा देगी। इस प्रकार, नामांकन से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका को हटाया नहीं जा सकता है।

बी. वी. सुदिर इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि धारा 24 (1) उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

वी. सुदिर में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 24 (1) (डी) और 28 (2) (बी) ने राज्य बार परिषदों को पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण और परीक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया था, जिसे इसके माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। 1973 का संशोधन। न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि विधायिका से ऐसा कोई अनावश्यक प्रावधान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो विशेष रूप से भारतीय बार काउंसिल को पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण और परीक्षा के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई के साथ सशक्त बनाता है।

हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 49 और विशेष रूप से धारा 49 (1) (ए. जी.) का तात्पर्य पहले से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा करने का अधिकार देता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि:

- i. उक्त अधिनियम की धारा 24 (1) "इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन" शब्दों के साथ शुरू होती है, जिससे धारा 24 (1) और इसके उप-खंडों के तहत शर्तों को सीधे उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन किया जाता है।
- ii. **सतीश कुमार शर्मा बनाम एच.पी.** की बार काउंसिल में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत नामांकन उक्त अधिनियम की धारा 49 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है, भले ही उक्त अधिनियम की धारा 24 (1) (ई) या धारा 28 (2) (बी) के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए थे।
- iii. **वी. सुदिर** में उक्त अधिनियम की धारा 24 ए पर इस न्यायालय की निर्भरता गलत है क्योंकि किसी व्यक्ति को नामांकन से अयोग्य घोषित करने की शक्ति उन शर्तों को निर्धारित करने से भौतिक रूप से अलग है जिनके अधीन पंजीकरण का अधिकार उत्पन्न होता है।

सी. वी. सुदिर ने यह निष्कर्ष निकालते हुए गलती की कि यह भारतीय बार काउंसिल के वैधानिक कार्यों में से एक नहीं है कि वह ऐसे नियम बनाए जो पूर्व-नामांकन शर्तों को लागू करते हैं।

1995 के नियमों का 'पता' भारतीय विधिज्ञ परिषद के राज्य विधिज्ञ परिषदों पर 'सामान्य पर्यवेक्षण' के कार्य से लगाया जा सकता था, जिस पर **वी. सुदिर** ने विचार नहीं किया था:

- i. उप-धारा (1) के खंड (एल) और (एम) के आलोक में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 7 एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वैद्यनिक कार्यों की सूची में संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 7 (1) (जी) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य में राज्य बार काउंसिलों को विशेष रूप से उन व्यक्तियों का नामांकन नहीं करने का निर्देश देना शामिल होगा जिन्होंने 1995 के नियमों के तहत निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं लिया था।
- ii. उक्त अधिनियम की धारा 7 (एल के एन) और धारा 24 (1) के संयुक्त पठन पर एक अतिरिक्त वैधानिक कार्य को समाप्त किया जा सकता है, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद को नियम निर्धारित करने का एक वैधानिक कार्य प्रदान करता है, जिसके अधीन किसी भी व्यक्ति को "राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य" माना जा सकता है, जैसे कि पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित परीक्षा।
- iii. भले ही यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि उक्त अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान भारतीय विधिज्ञ परिषद को पूर्व-नामांकन शर्तों को निर्धारित करने का कार्य प्रदान नहीं करता है, उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. जी.) स्वयं यह निष्कर्ष निकालने का आधार प्रदान करेगी कि भारतीय विधिज्ञ परिषद का ऐसा कार्य है। इसके बाद, निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन, नामांकन का मंत्री अधिनियम उक्त अधिनियम की धारा 24 (3) (डी) के तहत किया जाता है।

घ. नामांकन के बाद आयोजित की जाने वाली परीक्षा की व्यवहार्यता:

यदि यह न्यायालय **वी सुधीर** में निर्णय पर कोई पुनर्विचार नहीं करने का निर्णय लेता है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (एएच) के तहत नामांकन के बाद की परीक्षा निर्धारित कर सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 30 में प्रयुक्त शब्द की तुलना उक्त अधिनियम की धारा 24 और 29 से करना महत्वपूर्ण है। जबकि पहला उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अभ्यास करने का अधिकार देता है, बाद के प्रावधान अपने-अपने पहलुओं को उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन बनाते हैं। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत अभ्यास करने का अधिकार केवल उक्त अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, न कि उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों द्वारा। यदि यह व्याख्या कायम रहती है, तो अखिल भारतीय बार परीक्षा को उसके वर्तमान प्रारूप में तैयार करना अवैध माना जाएगा। हालाँकि, पिछली व्याख्याएँ जमशेद अन्सारी बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य और एन के बाजपेयी बनाम भारत संघ और एक अन्य में उक्त अधिनियम के प्रावधान और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधानों के अधीन अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 30 पर प्रतिबंध के दायरे को बढ़ाने की कीमत पर अखिल भारतीय बार परीक्षा को उसके वर्तमान रूप में मान्य किया जा सके।

14. विभिन्न विचार प्रक्रियाओं की व्यावहारिकता पर कार्यवाही के दौरान न्यायालय में व्यक्त की गई चिंताओं को संबोधित करते हुए एक अतिरिक्त नोट/टिप्पणी के माध्यम से एमिकस/न्यायमित्र द्वारा उपरोक्त का पूरक किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल था कि परीक्षा कब आयोजित की जा सकती है और परीक्षा परिणाम घोषित होने तक उम्मीदवारों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। पूरक सुझाव इस प्रकार हैं:

- ए. यदि परीक्षा पूर्व-नामांकन आयोजित की जाती है, तो दो विकल्प सुझाए जाते हैं: सबसे पहले, उम्मीदवारों को एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर पूर्व-नामांकन

परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें दिखाया गया हो कि उन्होंने अपनी सभी लॉ स्कूल परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं और नामांकन के समय डिग्री प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि पात्रता को उन व्यक्तियों तक बढ़ाया जा सकता है जो अपने विधि पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है और ऐसी परीक्षा में कोई भी परिणाम उक्त व्यक्ति के विश्वविद्यालय/कॉलेज के अध्ययन पाठ्यक्रम के तहत आवश्यक सभी घटकों को उत्तीर्ण करने के अधीन होगा। यह अखिल भारतीय बार परीक्षा के परिणामों के सीमित अवधि के लिए मान्य होने के अधीन होगा।

- बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख और नामांकन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, कोई भी स्नातक जो अभी तक अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ है या अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित नहीं हुआ है, वह अभी भी न्यायालयों के समक्ष कार्य या अभिवचन के कार्य के अलावा कानूनी पेशे से संबंधित सभी कार्यों को करने में सक्षम होगा।
- सी. एक अधिवक्ता की जन्म तिथि के आधार पर नामांकन के बाद की परीक्षा के मामले में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए वर्तमान में वैधानिक मान्यता और एक समान मानदंड है। यह एक पूर्व-नामांकन परीक्षा के लिए भी उपयुक्त होगा। इस प्रकार, नामांकन के बाद की परीक्षा के लिए जो प्रथा और प्रक्रिया मौजूद है, वह संबंधित राज्य बार काउंसिलों द्वारा बनाए गए किसी भी मानदंड के अलावा, पूर्व-नामांकन परीक्षा में आवेदन के लिए उपयुक्त होगी।
- डी. वर्तमान में, कोई भी व्यक्ति जो अस्थायी रूप से नामांकित है, उसे दो साल के लिए अभ्यास करने की अनुमति है, लेकिन उसे न केवल उन दो वर्षों के

लिए बल्कि अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने तक किसी भी संख्या में अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की अनुमति है। उम्मीदवार की वरिष्ठता की गणना की तारीख अस्थायी नामांकन की तारीख से है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि असीमित संख्या में प्रयास इस न्यायालय द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप नहीं होंगे और यह किसी भी संख्या तक सीमित होना चाहिए जिसे यह न्यायालय उचित समझता है।

इ. उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. एच.) के तहत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग उन अधिवक्ताओं के लिए एक परीक्षा की आवश्यकता के लिए किया जा सकता है जो अभ्यास से पर्याप्त विराम के बाद अभ्यास में वापस आते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि यह न्यायालय यह मानता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद उक्त अधिनियम की धारा 24 (1) के साथ 49 (1) (ए. जी.) के तहत नियम बना सकती है जो उन परिस्थितियों को नियंत्रित करती है जिनमें किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में "भर्ती होने के लिए योग्य" माना जा सकता है, तो एक उपयोगी निष्कर्ष सामने आएगा। इस तरह के नियम यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक नामांकित अधिवक्ता, जिसने काफी समय तक गैर-कानूनी संदर्भ में रोजगार लिया है, उसे एक नई भूमिका माना जाएगा। उस योग्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए, उस व्यक्ति को पुनः परीक्षा नियम के अधीन किया जा सकता है और उसे एक बार फिर अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की आवश्यकता हो सकती है।

एफ. किसी भी पूर्व-नामांकन या नामांकन के बाद बार परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त परिणाम की वैधता भी समय तक सीमित होनी चाहिए जो भारतीय बार काउंसिल के लिए विचार करने के लिए एक नीतिगत मामला होगा।

जी. भारतीय विधिज्ञ परिषद प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 48 बी के तहत निर्देश जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

15. तत्कालीन महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल, जिन्हें न्यायमित्र के रूप में भी नियुक्त किया गया था, ने हमें सामग्री के माध्यम से ले जाने के बाद दो पहलुओं को स्पष्ट किया:

ए. भारतीय बार काउंसिल को उक्त अधिनियम की धारा 49 के तहत नियम बनाने का अधिकार है और 1973 के संशोधन के बाद भारतीय बार काउंसिल की नियम बनाने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।

बी. पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरनशिप के जनादेश के माध्यम से जो प्राप्त होता है वह कहीं अधिक बेहतर होता है।

16. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों पर प्रकाश डाला। श्री मिश्रा ने उक्त अधिनियम की धारा 7 (1) (जी) पर भी भरोसा किया जो भारतीय विधिज्ञ परिषद को राज्य विधिज्ञ परिषदों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने के लिए पूर्ण नियंत्रण देता है।

विपरीत दृश्य बिंदु

17. याचिकाकर्ताओं द्वारा 2011 के टी. सी. (सी) संख्या 13 महत्वपूर्ण विपरीत दृष्टिकोण रखा गया था। ने यह तर्क देना चाहा कि चूंकि पूर्व-नामांकन परीक्षा **वी. सुदिर** में वैधानिक प्रावधानों के आलोक में समाप्त कर दी गई थी, इसलिए संदर्भ आदेश के पहले दो प्रश्नों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नामांकन के बाद की परीक्षा के तीसरे

प्रश्न के संबंध में, जिसके लिए भारतीय बार काउंसिल नियमों के भाग VI के अध्याय III में नियम 9 से 11 जोड़े गए हैं, खारिज करने की याचिका निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित थी:

- क. उक्त अधिनियम की धारा 16 अधिवक्ताओं की केवल दो श्रेणियों, अर्थात् वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं के लिए प्रावधान करती है, और "अस्थायी रूप से नामांकित अधिवक्ताओं" की किसी भी तीसरी श्रेणी के लिए प्रावधान नहीं करती है जिन्हें अंततः अखिल भारतीय बार परीक्षा देने के बाद नामांकित किया जाएगा।
- ख. उक्त अधिनियम की धारा 22 किसी भी व्यक्ति को नामांकन का प्रमाण पत्र प्रदान करती है जिसका नाम संबंधित राज्य बार परिषद द्वारा बनाए गए अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज किया गया है। इसलिए, एक बार जब कोई अधिवक्ता राज्य सूची में प्रवेश करता है, तो वह एक अधिवक्ता होता है और उसके अभ्यास पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है।
- ग. उक्त अधिनियम की धारा 24, जो व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में भर्ती करने के लिए शर्तों और योग्यताओं का व्यापक रूप से प्रावधान करती है, एक अधिवक्ता के रूप में बने रहने के लिए किसी भी नामांकन के बाद की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रभाव के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं करती है।
- घ. उक्त अधिनियम की धारा 28 में संशोधन किया गया और नामांकन से पहले परीक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की राज्य विधिज्ञ परिषदों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया।

ड. उक्त अधिनियम की धारा 30, जो अभ्यास करने के अधिकार का प्रावधान करती है, अभ्यास करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान नहीं करती है।

च. बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का नियम 9 असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि अखिल भारतीय बार परीक्षा की शुरुआत से पहले स्नातक करने वाले और नामांकन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि 2009-2010 के लोगों को परीक्षा देना अनिवार्य है, जिससे नियम भेदभावपूर्ण प्रकृति का हो जाता है।

18. उपरोक्त तर्क का समर्थन अन्य दलीलों द्वारा किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि **वी. सुदिर** में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई शक्ति एक अधिवक्ता बनने की पात्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए थी, न कि इसे कम करने के लिए। इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एकत्र की गई फीस और 'पर्ल फर्स्ट' नामक इकाई के साथ इसके जुड़ाव के संबंध में कोई जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं थी, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई जगह नहीं मिली।

हमारी विचार प्रक्रिया:

19. हमने इस मामले पर अपना विचार दिया है और उन सभी लोगों की चिंताओं को साझा किया है जो यह देखने के लिए हमारे सामने पेश हुए कि सबसे अच्छा पेशे में आए। वकीलों की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू है और न्याय के प्रशासन और न्याय तक पहुंच का हिस्सा है। अधूरे वकीलों का कोई उद्देश्य नहीं है। यह गुणवत्ता नियंत्रण है, जो एक समय अवधि में किए गए सभी प्रयासों का प्रयास रहा है।

20. उक्त अधिनियम को अधिनियमित करने वाली संसद का उद्देश्य कानूनी व्यवसायियों से संबंधित कानून को समेकित करना था। भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रमुख भूमिका, शीर्ष निकाय, उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए निर्धारित कार्यों से स्पष्ट है। उप-धारा (1) के खंड (एच) में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिलों के परामर्श से ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने का प्रावधान है। उपखंड (एम) एक अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, जिसमें उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सबसे व्यापक आयाम है। ये प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा का सीधा नियंत्रण नहीं सौंपते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से कानूनी शिक्षा विश्वविद्यालयों के प्रांत के भीतर होती है। फिर भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अधिवक्ताओं का शीर्ष पेशेवर निकाय होने के नाते, कानूनी पेशे के मानकों और उन लोगों के उपकरणों से संबंधित है जो उस पेशे में प्रवेश करना चाहते हैं न तो ये प्रावधान, और न ही कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका, किसी भी तरह से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पूर्व-नामांकन परीक्षा आयोजित करने से रोकती है, क्योंकि परिषद सीधे उन व्यक्तियों के मानक से संबंधित है जो एक पेशे के रूप में कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं।

21. उपरोक्त प्रावधान के साथ, हम राज्य सूची में अधिवक्ताओं के प्रवेश के लिए कानूनी शिक्षा के बाद के स्तर पर विज्ञापन देना चाहेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 24 में यह निर्धारित किया गया है कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। धारा 24 की उप-धारा (1) उन शर्तों का प्रावधान करती है जिन्हें पूरा करने वाला व्यक्ति राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3), "उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी", यह कहते हुए गैर-अस्थाई खंड उप-धारा (1) से शुरू होती है। उक्त अधिनियम

की धारा 24 की उप-धारा (3) का खंड (डी) इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने की पात्रता को संदर्भित करता है।

22. यह उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) के खंड (डी) के तहत है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा शुरू करने की मांग की, जो समान रूप से लागू होगी, भले ही कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बार में नामांकित होने से पहले कानून पूरा कर ले। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह प्रयास है, जिस पर निर्णय में हमला किया गया था यह न्यायालय **वी. सुदिर** में और वह चुनौती सफल रही। हमें **वी. सुदिर** में इस निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा क्योंकि संविधान पीठ के संदर्भ आदेश में, हमें संदर्भित पहले दो प्रश्न वास्तव में इस निर्णय से उत्पन्न होते हैं अर्थात् 1995 के नियमों के संदर्भ में पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय बार काउंसिल का अधिकार और क्या उक्त अधिनियम के तहत भारतीय बार काउंसिल द्वारा पूर्व-नामांकन परीक्षा निर्धारित की जा सकती है। 1995 के नियमों के संदर्भ में, प्रशिक्षु अधिवक्ता अपने अस्थायी नामांकन के बाद, स्थगन की मांग करने और अपने मार्गदर्शकों के निर्देश पर उल्लेख करने के लिए अदालत में उपस्थित होने के हकदार हैं।

23. **वी. सुदिर** के फैसले में, हालांकि संभावित रूप से प्रभावी, यह राय दी गई थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस तरह की नियम बनाने की शक्ति मूल अधिनियम के अधिकार से बाहर थी क्योंकि यह 1973 के संशोधन के बाद संशोधित किया गया था। जहाँ तक उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) के खंड (डी) के तहत शक्ति के प्रयोग का संबंध है, यह राय दी गई थी कि एक व्यक्ति, जो अन्यथा कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद नामांकन के लिए पात्र है, उसे पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण की अतिरिक्त योग्यता और अधिवक्ता के रूप में नामांकन की परीक्षा निर्धारित करके नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है।

24. भारतीय कानूनी सहायता और सलाह परिषद (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर भी चर्चा की गई थी, हालांकि यह एक ऐसा मामला था जो केवल बार में नामांकन के लिए योग्य होने के लिए आयु सीमा निर्धारित करने के पहलू से संबंधित था।

25. चर्चा में कहा गया है कि 1961 और 1964 के बीच, राज्य बार काउंसिलों ने एक आवेदक को कानून में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम से गुजरने और नामांकन की शर्तों के रूप में इस तरह के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी। लेकिन 1964 के बाद से 1973 तक, राज्य बार काउंसिलों के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन की पूर्व शर्त के रूप में कानून में प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने की अनुमति थी और उसे प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी और ऐसी परीक्षा केवल संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा निर्धारित की जा सकती थी। 1973 के संशोधन के उद्देश्य और कारणों में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय विधिज्ञ परिषद को उन योग्य उम्मीदवारों की श्रेणियों में जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियां देना आवश्यक महसूस किया गया था जो अन्यथा उक्त संशोधन से पहले उक्त अधिनियम की धारा 24 (1) के साथ पठित धारा 17 के तहत नामांकित होने के पात्र नहीं थे। तर्क, जो व्याप्त है **वी. सुदिर** में निर्णय यह है कि यदि सांविधिक रूप से राज्य विधिज्ञ परिषदों की शक्ति को किसी विशेष पहलू के संबंध में यानी प्रशिक्षण प्रदान करने या परीक्षा आयोजित करने के संबंध में छीन लिया गया है, तो भारतीय विधिज्ञ परिषद का पूर्व-नामांकन परीक्षा शुरू करने का प्रयास कायम नहीं रह सका क्योंकि यह 1973 के संशोधन के इरादे के विपरीत होगा।

26. संदर्भ के लिए तैयार किया गया तीसरा प्रश्न उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. एच.) को संदर्भित करता है ताकि नामांकन के बाद की परीक्षा प्रदान की जा सके यदि पहले दो प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। धारा 49 भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियम बनाने की सामान्य शक्तियों से संबंधित है और उपखंड (ए. एच.) विशेष रूप से उन शर्तों से

संबंधित है जिनके अधीन एक अधिवक्ता को वकालत करने का अधिकार होगा और उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत एक व्यक्ति को अदालत में अधिवक्ता के रूप में वकालत करने के लिए माना जा सकता है।

27. अब हम श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों की ओर रुख करते हैं, जिन्होंने एक न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता की क्योंकि उन्होंने **वी. सुदिर** के पहले के फैसले की गलतियों के बारे में तर्क दिया था। उन्होंने इस ओर से तर्क दिया कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जब विधायिका ने इस संबंध में राज्य बार काउंसिलों की शक्तियों को समाप्त कर दिया, तो यह मौजूदा प्रावधानों के तहत भारतीय बार काउंसिल की शक्तियों को कम करने के बराबर नहीं है, जो संशोधित या हटाए नहीं जाते हैं। राज्य बार काउंसिलों के कार्य, धारा 6 के एक सादे पठन पर, रोल तैयार करने और बनाए रखने और अपने रोल पर अधिवक्ताओं के रूप में व्यक्तियों के प्रवेश से संबंधित उनकी शक्तियों से संबंधित हैं। हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. जी.) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे नियम निर्धारित करने का अधिकार देती है जो व्यक्तियों के एक वर्ग या श्रेणी को निर्दिष्ट करेंगे, जो अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने के हकदार हैं। धारा 49 (1) (ए. जी.) निम्नानुसार है:

“49. भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियम बनाने की सामान्य शक्ति - [(1)] भारतीय विधिज्ञ परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बना सकती है, और विशेष रूप से, ऐसे नियम निर्धारित कर सकते हैं -

.....

(एजी) अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के हकदार व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी;”

28. इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि पात्रता का अर्थ यह इंगित करेगा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकती है, जो किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने का अधिकार या दावा देगी और नामांकन से पहले भारतीय विधिज्ञ परिषद की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 24 (1) के महत्व को उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें धारा 24 की उप-धारा (3) की शुरुआत में "इसके बावजूद खंड" शामिल है।

29. उपरोक्त संदर्भ में, हमारा मानना है कि हमें राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों को उनके संबंधित वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ना होगा। शक्तियाँ समान रूप से नहीं होती हैं। भारतीय बार काउंसिल के पास बहुत बड़ी शक्तियाँ और अधिकार हैं जैसा कि विद्वान न्यायमित्र की प्रस्तुतियों सहित ऊपर प्रस्तुत और चर्चा की गई है।

30. हम **वी. सुदिर** के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि क्योंकि राज्य बार काउंसिल की प्रशिक्षण प्रदान करने या परीक्षा आयोजित करने की शक्ति 1973 के संशोधन द्वारा छीन ली गई थी, यह वास्तव में ऐसी शक्तियों को छीनने के बराबर है यदि वे भारतीय बार काउंसिल में निहित हैं। विधायी उद्देश्य स्पष्ट था अर्थात् राज्य विधिज्ञ परिषदों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान नहीं करना। हालाँकि, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्ति की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सका, और स्वाभाविक रूप से ऐसी शक्ति मौजूद थी। यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कभी ऐसी शक्ति नहीं थी, तो इसे निहितार्थ से नहीं पढ़ा जा सकता था। लेकिन, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त शक्तियाँ होतीं, तो 1973 का संशोधन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उन शक्तियों को नहीं छीनता क्योंकि उक्त संशोधन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों के पहलू से संबंधित नहीं था।

31. इसके अलावा, **वी. सुदिर** में विद्वान न्यायाधीशों ने राय दी कि यदि ऐसी शक्ति प्रदान की जानी है, तो इसे विधायी रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। जबकि सिद्धांत रूप में, व्यापक प्रस्ताव के साथ कोई असहमति नहीं हो सकती है, मुद्दा यह है कि क्या ऐसी शक्ति पहले से ही वैधानिक प्रावधानों के तहत भारतीय बार काउंसिल के पास मौजूद है। भारतीय बार काउंसिल के कार्य, जैसा कि धारा 7 के तहत निर्दिष्ट किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ एक अभ्यास धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के तहत राज्य बार परिषदों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, उपखंड (1) के तहत, भारतीय विधिज्ञ परिषद को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत और खंड (1) के तहत उसे प्रदत्त अन्य सभी कार्यों को करने की शक्ति है ताकि वह उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सके। इस प्रकार, विधायी द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ व्यापक और व्यापक हैं। इस प्रकार, जब भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास धारा 24 (1) के तहत नियम निर्धारित करने की वैधानिक शक्ति है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति को राज्य सूची में अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने के लिए योग्य माना जा सकता है, तो हम मानते हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या परीक्षा शुरू करने में अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं है।

32. किसी भी मौजूदा संदेह के मामले में, हमें उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. जी.) का उल्लेख करना चाहिए, जो नियम बनाने के लिए भारतीय बार काउंसिल की सामान्य शक्तियों से निपटने के दौरान, विशेष रूप से यह निर्धारित करता है कि अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने का हकदार व्यक्ति का वर्ग या श्रेणी एक ऐसा पहलू है जिसके लिए भारतीय बार काउंसिल को सभी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस प्रकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए एक परीक्षा के प्रावधान पर शायद ही संदेह किया जा सकता है। हमने शुरुआत में ही निर्दिष्ट किया था कि बार में प्रवेश का गुणवत्ता नियंत्रण समय की आवश्यकता है।

33. भारतीय विधिज्ञ परिषद को धारा 49 के तहत व्यापक शक्तियां देते हुए विधायिका का उद्देश्य, जो उसे धारा 24 (3) (डी) के साथ पढ़ने वाले नियम बनाने की शक्तियां देता है, जो उसे भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने की पात्रता के लिए मानदंड निर्धारित करने की शक्तियां देता है, हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि ये ऐसे मानदंड और नियम प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास पर्याप्त शक्तियां हैं।

34. इस प्रकार, हमारा विचार है कि हमारे समक्ष निर्दिष्ट प्रश्नों पर विचार करते समय, एकमात्र निष्कर्ष जो रखा जा सकता है वह यह है कि भारतीय बार काउंसिल की शक्तियों पर **वी. सुदिर** में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा दिए गए निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और हम यह नहीं मान सकते हैं कि **वी. सुदिर** कानून की सही स्थिति निर्धारित करता है।

35. हमारे द्वारा व्यक्त किए गए विचार का प्रभाव यह होगा कि यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किस स्तर पर है अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए-पहले या बाद में। विशेष रूप से अंतराल अवधि के संबंध में परिणाम हैं जो किसी भी परिदृश्य में अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने में उत्पन्न होंगे, और यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उन पर विचार करे, लेकिन दोनों स्थितियों की बारीकियों को देखने के लिए इसे भारतीय बार काउंसिल पर छोड़ना उचित होगा। हालाँकि, बड़े प्रभावों को देखते हुए हम कुछ पहलुओं पर ध्यान देना उचित समझते हैं, हालांकि उन सभी पहलुओं पर नहीं जो अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने में शामिल हो सकते हैं, विशेष रूप से न्यायमित्र द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को देखते हुए।

36. हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि अखिल भारतीय बार परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जानी है। यह आवश्यक है कि इस अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाए क्योंकि अन्यथा कानून की डिग्री रखने वाले छात्र अपना समय बर्बाद कर देंगे।

37. जो सवाल उठे उनमें से एक यह था कि क्या केवल किसी विधि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने या ऐसी डिग्री प्राप्त करने पर ही किसी व्यक्ति को अखिल भारतीय बार परीक्षा देने के लिए पात्र होना चाहिए? भारत में, कानून की डिग्री प्रदान करने वाले विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थान अक्सर अलग-अलग समय पर परिणाम घोषित करते हैं। चिंता की बात यह है कि परिणाम की घोषणा न होने के कारण कोई व्यक्ति अखिल भारतीय बार परीक्षा में बैठने का अवसर खो सकता है, जिससे अदालत की कार्यवाही में काम करने का अवसर प्राप्त किए बिना काफी लंबे अंतराल की अवधि हो सकती है।

38. हम विद्वान न्यायमित्र के इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि जिन छात्रों ने सभी परीक्षाओं को पास कर लिया है, वे कानून के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर को आगे बढ़ाने के लिए पात्र हो सकते हैं, उसी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। अखिल भारतीय बार परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्ययन के दौरान आवश्यक सभी घटकों को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति के अधीन होगा। यह अखिल भारतीय बार परीक्षा के परिणामों के एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होने के अधीन होगा।

39. अक्सर, लॉ यूनिवर्सिटी/कॉलेज से परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख और नामांकन की तारीख के बीच एक अंतराल अवधि होती है। इस प्रकार कुछ कार्यों को करने के लिए कानून स्नातक की पात्रता उत्पन्न हो सकती है। सुझाव दिया गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख और नामांकन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, डिग्री वाला कोई भी

स्नातक जो अभी तक बार परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है या उक्त अधिनियम के तहत नामांकित नहीं हुआ है, वह सभी संबद्ध कार्यों को करने न्यायालयों के समक्ष कार्य करने या अभिवचन करने के कार्य के अलावा अन्य कानूनी पेशे के लिए सक्षम होना चाहिए। हम इस सुझाव को अपनी प्राथमिकता देते हैं।

40. एक अन्य मुद्दा जो उत्पन्न होता है वह है बार में वरिष्ठता। यह कक्ष आवंटन, उन्नयन के समय आदि सहित कई उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है। किसी अधिवक्ता की जन्म तिथि के आधार पर नामांकन के बाद की परीक्षा के मामले में वरिष्ठता के निर्धारण को वर्तमान में उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई है और इस प्रकार, यह सुझाव दिया गया है कि इसी तरह के मानदंड किसी भी नामांकन से पहले या बाद की परीक्षा में उपयुक्त होंगे। हमें यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (एई) के तहत अधिवक्ताओं के बीच वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां हैं।

41. न्यायमित्र ने सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के असीमित प्रयास इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित योजना के अनुरूप नहीं होंगे और यह उन प्रयासों की संख्या तक सीमित होना चाहिए जिन्हें यह न्यायालय ऐसा करने के लिए उचित समझता है। हम, अपने दम पर, एक कानून स्नातक को अखिल भारतीय बार परीक्षा देने के लिए उपलब्ध अवसरों की संख्या निर्धारित करने में संकोच करेंगे, विशेष रूप से जब यह केवल अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर है कि वह एक पूर्व-नामांकन परीक्षा में नामांकित होने का हकदार होगा। नामांकन के बाद की परीक्षा के मामले में, नामांकन और अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बीच दो साल की अवधि पहले से ही निर्दिष्ट है।

42. विद्वान न्यायमित्र ने उन व्यक्तियों के मुद्दे को भी रेखांकित करने की मांग की, जो अन्य नौकरियां ले सकते हैं और बाद में किसी स्तर पर खुद को अधिवक्ता के रूप

में नामांकित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो बार में नामांकित होने के बावजूद, दूसरी नौकरी करने का फैसला करते हैं और काफी समय के बाद, कभी-कभी सेवानिवृत्ति के बाद भी पेशे में वापस आते हैं। यह उस संदर्भ में है कि विद्वान न्यायमित्र ने सुझाव दिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 49 (1) (ए. एच.) के तहत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग उन अधिवक्ताओं के लिए एक परीक्षा की आवश्यकता के लिए किया जा सकता है जो अभ्यास से पर्याप्त विराम के बाद अभ्यास में वापस आते हैं। हम सैद्धांतिक रूप से इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि यह निर्धारित करते हुए उचित नियम बनाए जा सकते हैं कि एक नामांकित अधिवक्ता जो एक गैर-कानूनी संदर्भ में पर्याप्त समय (जैसे पांच साल के लिए) के लिए रोजगार लेता है, उसे एक नई भूमिका माना जाएगा और योग्यता हासिल करने के लिए, उस व्यक्ति को एक बार फिर अखिल भारतीय बार परीक्षा देनी होगी। हम मानते हैं कि एक सक्रिय कानूनी अभ्यास और एक असंबद्ध नौकरी की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। भले ही किसी व्यक्ति के पास कानून की डिग्री या नामांकन, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत की सहायता करने की उनकी क्षमता उनके साथ जारी रहेगी यदि किसी असंबद्ध नौकरी में समय की लंबी अंतराल अवधि है। उसे अपने कौशल को नए सिरे से निखारना और परखना होगा। इस प्रकार, यदि कोई पर्याप्त विराम है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मानदंड निर्दिष्ट किए जाने चाहिए कि उस योग्यता को फिर से प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को फिर से परीक्षा के अधीन किया जाएगा और उसे एक बार फिर अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की आवश्यकता होगी।

43. विद्वान न्यायमित्र द्वारा दिए गए अन्य दो सुझाव यह हैं कि किसी भी पूर्व-नामांकन या नामांकन के बाद बार परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त परिणाम की वैधता समय तक सीमित होनी चाहिए जो भारतीय बार काउंसिल के लिए विचार करने के लिए एक नीतिगत मामला होगा, और भारतीय बार काउंसिल प्रत्येक राज्य बार काउंसिल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए

उक्त अधिनियम की धारा 48 बी के तहत निर्देश जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। हम इन सुझावों से सहमत हैं।

44. हमारे पास इस दलील से उत्पन्न होने वाली एक चेतावनी भी है कि विभिन्न राज्य बार काउंसिल नामांकन के लिए अलग-अलग शुल्क ले रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो यह देखने की शक्तियों से वंचित नहीं है कि एक समान पैटर्न का पालन किया जाए और बार में शामिल होने वाले युवा छात्रों की सीमा पर शुल्क दमनकारी न हो।

45. यद्यपि हम विद्वान न्यायमित्र के सुझावों से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों की प्रक्रिया में इन पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

46. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि **वी. सुदिर** मामले में इस न्यायालय के फैसले पर हमारे समक्ष सुझाए जाने वाले विपरीत दृष्टिकोण और हमारे इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि यह अच्छा कानून नहीं होगा, वे वास्तव में विचार के लिए जीवित नहीं हैं।

47. हमारी आशा है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद को एक बड़ी भूमिका प्रदान करते हुए उपरोक्त टिप्पणियां भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपनी भूमिका के महत्व के प्रति अधिक जागरूक बनाएंगी, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि केवल वही व्यक्ति जो कानून के साधनों से सुसज्जित हैं, वे अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करें। इसके अलावा, कानूनी स्थिति में आवधिक परिवर्तन और सभी की परिणामी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय बार परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, हम इस निर्णय को संभावित रूप से लागू करना चाहते हैं ताकि यह उन परिदृश्यों को बाधित न करे जो अंतराल अवधि के दौरान प्रचलित हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि **वी. सुदिर** में निर्णय को दरकिनार करना किसी भी तरह से पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण की आवश्यकता को अनिवार्य करने के लिए

अनिवार्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कदम उठाएगी। हम विद्वान मित्रों द्वारा प्रदान की गई सहायता की बहुत सराहना करते हैं।

48. अंत में, हम आशा करते हैं कि हमारा दृष्टिकोण बार में युवा उज्ज्वल दिमागों के नामांकन को आगे लाने में सहायता करेगा, जो अधिक कुशल तरीके से न्यायालय की सहायता करने में सक्षम होंगे ताकि न्याय के प्रशासन को लाभ हो।

49. दीवानी अपील और याचिकाओं का निपटारा पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील और याचिकाओं का निपटारा किया गया।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)